अनुसूची १४ नारम सं0-४६२

आदेश-पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित ३

आयुक्त न्यायालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा

भूमि विवाद अपील संख्या-80/2011

सियाराम सिंह एवं अन्य ..... अपीलार्थीगण

बनाम

अनिल राम एवं अन्य .....विपक्षीगण

प्रस्तुत अपीलवाद अपीलार्थी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा के पारित आदेश दिनांक-01.08.2011 ई0 अन्दर वाद संख्या-05/2010 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोंडेन्ट्स के द्वारा दाखिल किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

प्रस्तुत अपील वाद में संक्षेप में मामला यह है कि विपक्षी प्रथम पक्ष के द्वारा निम्न न्यायालय में मद सख्या 01 की भूमि का जमाबन्दी रद्द करने के लिए विपक्षी द्वितीय पक्ष एवं तृतीय पक्ष के विरूद्ध दाखिल किया गया था।

अपीलार्थी ने अपने अपील आवेदन के माध्यम से कथन किया है कि मौजा नरियार, खाता पुराना 94, खेसरा पुराना 1769, खाता नया 799, खेसरा नया 3115, रकवा 01 कट्ठा 17 धूर, खेसरा पुराना 1772, खेसरा नया 3100, रकवा 06 कट्ठा 08 धूर, खाता पुराना 94, खाता नया 1426, खेसरा पुराना 5042, खेसरा नया 7381 एवं 7382 रकवा 25 डि0, खाता पुराना 111, खाता नया 799, खेसरा पुराना 1771 खेसरा नया 3116 रकवा 09 धुर खेसरा पुराना 1770 रकावा 09 धूर, पुराना खेसरा 1768 खेसरा नया 3114 रकवा 01 कट्ठा 12 धूर खाता पुराना 111 खाता नया 856 खेसरा पुराना 1767 खेसरा नया 3113 रकवा 05 कट्ठा 05 धूर खाता पुराना 112 खाता नया 1052, खेसरा पुराना 1763, 1764, 1765 खेसरा नया 3112 रकवा 12 डि0, 13 डी0 अर्थात 06 कट्ठा 13 धूर बना।

अपीलार्थी ने आगे यह भी कथन किया है कि विपक्षी प्रथम पक्ष मौजा नरियार, तौजी नं0 3763 खाता पुराना 112, खेसरा पुराना 1763, 1764, 1765 खाता पुराना 111, खेसरा पुराना 1766, 1767,1768, 1770,

1771 एवं खाता पुराना 94 खेसरा पुराना 1769, 1772, 5042 का खतियानी पुर्वज विपक्षी पक्ष जो निम्न न्यायालय में आवेदक थे ने उक्त भूमि को लेकर वाद दाखिल किया था।

अपीलार्थी ने आगे यह भी कथन किया है कि विपक्षी प्रथम पक्ष निम्न न्यायालय में काली चमार, कैलू चमार एवं मुशहरू चमार को भाई बतलाये थे तथा बौकू चमार एवं मुशहरू चमार निःसंतान मर गये तथा उनकी सर्म्पूण पर काली चमार हकदार एवं दखलकार हुए तथा काली चमार के एक लड़का गुली चमार हुए तथा गुली चमार को एक लड़की वासो देवी पति देवू मौची थी तथा वासो देवी खतियानी भूमि की सर्म्पण भूमी पर हकदार एवं दखलकार हुई तथा वासो देवी के लड़के बालेश्वर मौची हुए तथा बालेश्वर मौची के चार लड़के शिवजी राम, राम चन्दर राम, अनिल राम एवं सुनील राम हैं।

अपीलार्थी ने आगे यह भी कथन किया है कि विपक्षी प्रथम पक्ष बालेश्वर मोची की भूमि पर वाद लाए हैं तथा विपक्षी प्रथम पक्ष ने अंचल से इन्फोरमेशन प्राप्त किए जिसमें खाता पुरानाः 94 खेसरा पुरानाः 5042, खेसरा नयाः 7381, 7382 का जमाबंदी विपक्षी तृतीय पक्ष को कर देने का कथन किया था तथा खाता पुराना 112, खेसरा पुराना 1763, 1764, 1765, 1766 एवं खाता पराना 111, खेसरा पुराना 1767,1768, 1770, 1771 का जमाबन्दी 2/926 एवं 2/3763 इन्फोरमेशन अंचल से प्राप्त किया तथा जमाबन्दी 2/926 एवं 2/3763 मधुरमैन देवी एवं जमाबंदी नं0 4142 उमा कान्त सिंह तथा जमाबन्दी नं0 4053 सियाराम सिंह के नाम से होने का प्राप्त कर वाद दाखिल करना बतलाया है।

अपीलार्थी आगे यह भी कथन करते है कि विपक्षी प्रथम पक्ष ने निम्न न्यायालय में दाखिल खारीज वाद सं0 424/83-84 जमाबन्दी नं0 21/146 रकवा 08 कट्ठा 05 धूर खाता पुराना 94 खेसरा पुराना 1769 एवं 1772 का मालगुजारी रसीद वर्ष 1983 हल्का कर्मचारी से प्राप्त किया जिसमें अंचल अधिकारी ने पत्र सं0 623-2 दिनांक-11.05.2010 के माध्यम से प्राप्त करने के पश्चात् भूमि विवाद अन्तर्गत वाद दाखिल करना बतलाया है।

अपीलार्थी आगे यह भी कथन करते हैं कि निम्न न्यायालय में अपीलार्थी द्वितीय पक्ष थे तथा निम्न न्यायालय में उपस्थित होकर जवाव एवं लिखित बहस दाखिल किये थे।

अपीलार्थी आगे यह भी कथन करते है कि विपक्षी प्रथम पक्ष जो निम्न न्यायालय में आवेदक थे वो खतियानी रैयत खाता पुराना 111 एवं 112 के वारिसान नहीं हैं तथा दाखिल खारीज के विरूद्ध विपक्षी प्रथम पक्ष ने कोई अपीलवाद दाखिल नहीं किया जिस आधार पर निम्न न्यायालय में विपक्षी प्रथम पक्ष के विरूद्ध दाखिल वाद सही नहीं करना बतलाए हैं।

अपीलपार्थी आगे यह भी कथन करते हैं कि मधुरमैन देवी के नाम से दर्ज जमाबंदी भेस्टिंग रिर्टन के आधार पर अंचल सिरिस्ता में दर्ज थी जिस पर सुनवाई करने का अधिकार निम्न न्यायालय को नहीं होना बतलाएँ हैं तथा खाता पुराना 111 का खतियानी बौकू पिता कैलू के नाम से थी तथा बौकू को निःसंतान मरने के पश्चात् खाता पुराना 111 की भूमि पर जमींदार का दखल कब्जा 112 के साथ रहता आया क्योंकि खाता 112 का खतियानी रैयत भदई पिता मुशहरू भी निःसंतान मर गये।

अपीलार्थी आगे यह भी कथन करते हैं कि मधुरमैन देवी भूतपूर्व जमीनदार थीं जिसका दखल कब्जा खाता पुराना 111 एवं 112 वकास्त भूमि भूतपूर्व जमींदार के द्वारा भैस्टिंग रिटर्न जमीनदार मधुरमैन देवी पति उचित नारायण सिंह सम्पूर्ण भूमि पर दखलकार रहती आयीं एवं जमाबन्दी मधुरमैन देवी के नाम से दर्ज हुआ।

अपीलार्थी आगे यह भी कथन करते हैं कि मधुरमैन देवी दान में खाता 111 खेसरा 1766, 1767, 1768, 1770, 1771 एवं खाता पुराना 112 खेसरा पुराना 1763, 1764, 1765 साथ अन्य भूमि निबंधित दान पत्र दिनांक 27.07.1961 श्रीमति मैना देवी पति भरत नारायण सिंह अपीलार्थी के पिता के नाम कर दिया।

अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि मैना देवी दानपत्र की भूमि पर दखलकार होकर मैना देवी के नाम से अंचल सिरिस्ते में जमाबन्दी कायम करवाया।

अपीलार्थी द्वारा आगे यह भी कथन करते हैं कि मैना देवी ने खाता 111 खेसरा 1767 रकवा 05 कट्ठा 05 धूर बालेश्वर राम जो विपक्षी प्रथम पक्ष के पिता के नाम से एक निबंधित केवाला दिनांक 10.01.1977 ई0 से बिकी किया गया था तथा विवादी भूमि का खाता मैना देवी एवं अन्य के नाम से दर्ज होना बतलाया गया है।

अपीलार्थी द्वारा आगे यह भी कथन किया गया है कि जमाबंन्दी अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के खरीददार के नाम से भेस्टिंग समय से निबंधित दान पत्र दिनांक 27.07.1961 के आधार पर चल रही है जिसके विरूद्ध कोई अपील दाखिल नहीं की गई।

अपीलार्थी आगे यह भी कथन करते हैं कि विवादी भूमि पर मैना देवी के वारिसान शांति पूर्वक दखलकार होकर घर-मकान बना कर रहते चले आ रहे हैं तथा अपीलार्थी निम्न न्यायालय में कागजी प्रमाण एवं लिखित बहस दाखिल किया था। परन्तु निम्न न्यायालय अपीलार्थी के दाखिल कागजी प्रमाणो पर विचार नहीं करते हुए दिनांक-01.08.2011 को गलत आदेश पारित किया है, जिस आदेश से दुःखित वो व्ययथित होकर अपीलार्थी ने अपील वाद दाखिल किया है।

अपीलार्थी ने अपने ग्राउण्ड में निम्न न्यायालय के आदेश को गलत बतलाये हैं तथा खाता पुराना 111 एवं 112 के खतियानी रैयत के नाबल्द मर जाने के पश्चात् खाता पुराना 111 एवं 112 की भूमि पर मधुरमैन देवी भुतपूर्व जमींदार का दखल कब्जा होना बतलाया है।

अपीलार्थी ने अभिप्राय में निम्न न्यायालय के द्वारा विपक्षी प्रथम पक्ष को बौकू चमार एवं भदई चमार को वारिसान नहीं होने पर विचार नहीं करना बतलाया है तथा भेस्टिंग जमीनदार के आधार पर दर्ज जमाबन्दी 2/926 एवं 2/3763 मधुरमैन देवी के नाम से भेस्टिंग के आधार पर रहने के वावजूद विचार नहीं करना बतलाए हैं तथा दानपत्र मैना देवी के नाम से दिनांक 27.05.1961 जो माता मधुरमैन देवी के द्वारा खाता पुराना 111 एवं 112 की दी गई थी तथा मैना देवी के वारिसानों के नाम जमाबंदी नं0 4053 एवं 4142 को सही बतलाएँ हैं तथा मैना देवी के अधिकार एवं दखल कब्जा को नजर अंदाज करते हुए विपक्षी प्रथम पक्ष जो निम्न न्यायालय में वादी थे के द्वारा गलत वंशवृक्ष बिना प्रमाणित होना बतलाएँ हैं तथा खतियानी रैयत गुली चमार की मृत्यु भेस्टिंग से बहुत पूर्व का होने का अपीलार्थी कथन करते हैं।

अपीलार्थी के द्वारा विपक्षी प्रथम पक्ष के पिता के पक्ष में तामिल केवाला दिनांक 10.01.1977 ई0 को नजर अंदाज कर आदेश पारित करना बतलाया है तथा निम्न न्यायालय के द्वारा विपक्षी प्रथम पक्ष के पक्ष में अधिकार एवं दखल कब्जा का आदेश देने का कथन किया तथा विवादी भूमि में स्वत्व का प्रश्न निर्धारित रहने का कथन किया है।

अपीलार्थी एवं विपक्षी द्वितीय पक्ष एवं तृतीय पक्ष निम्न न्यायालय में प्रतिवादीगण थे तथा विपक्षी तृतीय पक्ष के द्वारा अलग से अपील वाद सं0-79/2011 दाखिल किया गया है जबकि विपक्षी प्रथम पक्ष न्यायालय मे उपस्थित होकर अपना लिखित बहस दाखिल किया है।

विपक्षी प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल लिखित बहस में निम्न न्यायालय वाद सं0 05/2010 में पारित आदेश दिनांक-01.08.2011 को सर्वथा न्यायिक आदेश होना बतलाएँ हैं तथा निम्न न्यायालय के द्वारा उभय पक्ष की उपस्थिति में स्थलीय जाँच कर एव कागजी प्रमाणों के सुक्षमता पूर्वक विश्लेषन करते हुए आदेश पारित करना बतलाएँ हैं।

विपक्षी प्रथम पक्ष ने लिखित बहस में मधुरमैन देवी के नाम से कोई भी जमाबंदी होने का प्रमाणित अपिलार्थी के द्वारा निम्न न्यायालय में नहीं कर सके तथा खतियानी रैयत के भैस्टिंग रिटर्न दाखिल करने से पूर्व मरने की कथन भी अपीलार्थी के द्वारा निम्न न्यायालय में दाखिाल दानपत्र एवं वर्ष 1961 से प्रमाणित होता है कि खतियानी रैयत दानपत्र के समय भी मौजा मजकूर में जीवित थे जिनका नाम दानपत्र के चौहद्दी में अंकित बतलाएँ हैं।

अपीलार्थी के द्वारा की गई कथन में विपक्षी प्रथम पक्ष के पिता के नाम तामिल केवाला का जिक्र किया गया है, विपक्षी प्रथम पक्ष ऐसे किसी भी केवाला करने का विरोध करते हैं।

निम्न न्यायालय के आदेश में लोकायुक्त, बिहार, पटना के निर्देश पर लोकायुक्त के द्वारा पूर्व से विपक्षी प्रथम पक्ष के दखल कब्जा को पाते हुए पूर्व से आदेश पारित होने का जिक्र किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया कि मैना देवी दानपत्र की भूमि पर दखलकार होकर मैना देवी के नाम से अंचल सिरिस्ते मे जमाबंदी कायम करवाया, परन्तु अपील वाद पत्र के कंडिका 18 में जमाबंदी संख्या अंकित नहीं है।

निम्न न्यायालय द्वारा उक्त जमीन पर मैना देवी के द्वारा मकान निर्मित होने का उल्लेख किया गया है, शेष भूमि की जमाबंदी मैना देवी का नाम होने का निम्न न्यायालय का निष्कर्ष अवैधानिक प्रतीत होता है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना। निम्न न्यायालय के पारित आदेश एवं अभिलेख में दाखिल कागजी प्रमाणों के अवलोकन के पश्चात इस न्यायालय का स्पष्ट मत बनता है कि इस अपील वाद में स्वत्व वो अधिकार का प्रश्न सन्निहित है, जिसका सही रूप से निराकरण सक्षम व्यवहार न्यायालय में संभव है, क्योंकि रेसपोन्डेन्ट अपने को खतियानी रैयतों के वारसान के आधार पर दावा करते हैं और अपीलार्थी के नाम से चल रही जमाबन्दी को रद्द कर अपने नाम से रेसपोन्डेन्ट जमाबन्दी कायम करने का मांग किए हैं। जबकि अपीलार्थी की ओर से एक केवाला दाखिल किया है, जिस केवाला से रेसपोन्डेन्ट के पिता बालेश्वर राम श्रीमति मैना देवी अपीलार्थीगण के माँ से खेसरा नं0 1767 रकवा 05 कट्ठा 05 धूर जमीन सन् 1977 ई0 में खरीद किया है। इससे भी प्रतीत होता है कि रेसपोन्डेन्ट के पिता ही अपीलार्थी के परिवार को विवादी भूमि का रैयत मान गये हैं।

अपीलार्थी की ओर से शेष रिभेल्युशन रिटर्न 1941-1942 सम्पूर्ण विवादी तौजी नरियार मौजा का दाखिल किया है। जिस रिटर्न में रेसपोन्डेन्ट के परिवार के किसी भी पूवर्ज या उनका नाम नहीं है। साथ ही अपीलार्थीगण की ओर से विवादी भूमि का हाल सर्वे खतियान एवं चकबन्दी खतियान विवादी भूमि का नाम से मैना देवी, जो अपीलार्थीगण की माँ है, दाखिल किया है।

रेसपोन्डेन्ट की ओर से पुराना तैरीज खतियान एवं पुराना खेसरा पंजी के आलावा कोई सबूत कागजात नहीं दाखिल किया गया है।

निम्न न्यायालय ने अपने स्थल जाँच के दौरान जाँच किए है, जिस दौरान दोनों पक्षों ने अपना अपना दखल के बारे में दावा किए है, लेकिन निम्न न्यायालय के अभिलेख पर ऐसा कोई स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं है एवं विवादी भूमि के अंश पर बने घर अप्पु सिंह जो अपीलार्थी का दमाद है, उस जमीन को

वाद से उन्मुक्त करते हुए आदेश पारित किया है।

अतः निम्न न्यायालय के आदेश दिनांक-01.08.2011 को निरस्त किया जाता है एवं अपील वाद स्वीकृत किया जाता है। रेसपोन्डेन्ट सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। इस प्रकार अपील वाद निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा